दिनांक 20.4.17 को आगरा व अलीगढ़ मण्डलों की आगरा में आहूत शाखा प्रबन्धकों की बैठक की कार्यवृत्ति।

आगरा मण्डल पर बैंक के व्यवसायिक कार्यकलापों मुख्यतः सहकारी देयों की वसूली की ब्यापक समीक्षा प्रभावी अनुश्रवण व निदेर्शो हेतु समस्त शाखा प्रबन्धकों की बैठक दिनांक 20.4.17 को आहूत की गई। आगरा व अलीगढ़ मण्डल की वसूली गतवर्ष से क्रमशः रू0 11.89 करोड़ व रू0 14.40 करोड़ पीछे है। उक्त मण्डलों की समस्त शाखाओं का गतवर्ष से पीछे रहना चिन्ताजनक है। फतेहाबाद, किरावली, सैया, अलीगढ़ अतरौली, इगलास, हाथरस, सिकन्द्राराऊ सादाबाद व शासनी आदि शाखाएं गतवर्ष से अत्याधिक पीछे है, जो उचित नहीं है। बैंक के प्रबन्धकीय व्ययों में हुयी वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु व्यवसाय में वृद्धि की आवश्यकता एवं कृषकों की आय में दोगुनी वृद्धि हो, ऋण वितरण में वृद्धि करना आवश्यक है। समस्त शा0प्र0 से अपेक्षा की गई कि बैंक की व्यवसायिक स्थिति तभी तक अच्छी रह सकती है, जब बैंक के ऋणों की वसूली लगातार अपेक्षा के अनुरूप बढ़ती रहे।

बड़े बकायेदार – आगरा व अलीगढ़ मण्डलों में ऐसे बकायेदारों की संख्या क्रमशः 18714 धनराशि रू0 352.62 करोड़ व सं0 10486 रू0 177.55 करोड़ है, तथा अधिकांश शाखाओं द्वारा इन बकाएदारों पर अभी भी शतप्रतिशत वसूली कार्यवाही से आच्छादित नहीं किया गया, जो स्पष्ट निर्देशों का उल्लंघन एवं वसूली के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। अतः सभी पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए वसूली की जाए।

शून्य वसूली – सम्बन्धित मण्डलों में शून्य वसूली वाले ऋण खाते क्रमशः सं0 23712 धनराशि अं0 277.20 करोड़ संख्या 15141 धनराशि 115.78 करोड़ है, किन्तु इन बकाएदारों पर प्रभावी तरीके से वसूली के प्रयास नहीं किया गया। जिस कारण वसूली मात्र सं0 455 धनराशि 1.56 करोड़ व संख्या 68 धनराशि 0.31 करोड़ है, अधिकांश वर्तमान शाखा प्रबन्धक व फील्ड कर्मियों द्वारा ही उक्त में ऋण वितरण किया गया है। शून्य वसूली की स्थिति स्वयं द्वारा वितरित किये गये ऋणों की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह है। जिन पर प्रभावी सम्पर्क न होने के कारण वसूली बहुत ही निराशजनक है। अतः योजनाबद्ध तरीके से सभी कार्यवाहियों में तेजी लाते हुए सभी खातों में वसूली करना सुनिश्चित करें।

कर्मचारीवार वसूली– अधिकांश शाखाओं की कर्मचारीवार वसूली विवरण भ्रामक प्रतीत हो रही है। वसूली को समानुपातिक रूप से कर्मचारियों में विभक्त की गई, जो उचित नहीं है। इसकी पुष्टि की आवश्यकता है, यदि आप द्वारा वसूली में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न नहीं की जाएगी तो वसूली का दबाव व साप्ताहिक समीक्षा का प्रभाव वसूली टीम/फील्ड कर्मियों पर नहीं पड़ेगा।

विक्रीत भूमि– ऐसे ऋण खातों पर विस्तृत चर्चा की गई तथा निर्देशित किया गया। वसूली भ्रमण के दौरान ऐसे प्रकरणों को चिन्हित करते हुए उन पर विधिक कार्यवाही करते हुए वसूली की जाए। बैंक समीक्षा के दौरान सभी शाखा प्रबन्धकों द्वारा दिनांक 30.4.17 तक (21.4.17 से 30.4.17) निम्नानुसार वसूली करने का कमिटमेन्ट किया गया।

क्रमांक	नाम शाखा	30.4.17 तक का वसूली लक्ष्य(लाख)	क्रमांक	नाम शाखा	30.4.17 तक वसूली लक्ष्य (लाख)
1	आगरा	15.00	24	चौमुहा	8.00
2	एत्मादपुर	12.00	25	राया	5.00
3	बाह	8.00	26	नौहझील	10.00
4	फतेहाबाद	20.00	27	अलीगढ़	20.00
5	किरावली	20.00	28	जवां	10.00
6	खन्दौली	8.00	29	अतरौली	18.00
7	सैंया	15.00	30	खैर	16.00
8	खैरागढ़	20.	31	चण्डौस	15.00
9	जगनेर	8.00	32	अकराबाद	8.00
10	मैनपुरी	5.00	33	इगलास	18.00
11	भोगांव	8.00	34	हाथरस	23.00
12	करहल	10.00	35	सि0राऊ	6.00
13	किशनी	5.00	36	सादाबाद	10.00

14	घिरौर	5.00	37	सासनी	17.00
15	फिरोजाबाद	10.00	38	एटा	5.00
16	शिकोहाबाद	6.00	39	अलीगढ़	4.00
17	जसराना	5.00	40	जलेसर	3.00
18	हाथवन्त	8.00	41	पिलुआ	5.00
19	सिरसागंज	5.00	42	जैथरा	6.00
20	टूण्डला	8.00	43	कासगंज	3.00
21	मथुरा	5.00	44	अमापुर	4.00
22	गोवर्धन	5.00	45	पटियाली	5.00
23	छाता	10.00	46	सोरों	5.00
			47	मंजड्डवारा	3.00

साप्ताहिक बैठकें एवं कार्यवृत्ति–

पूर्व निर्गत निर्देशों के अनुरूप अभी भी साप्ताहिक बैठक कर शाखा कर्मियों के दैनिक कार्यो एवं उनके द्वारा किये जा रहे कार्यो की समीक्षा एवं कार्यवृत्ति प्रेषण आप द्वारा नहीं किया जा रहा है अन्यथा उपरोक्त वसूली जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का सम्पादन समय से होता तथा वसूली की स्थिति में सुधार परिलक्षित होता। साप्ताहिक सभी कर्मियों के साथ बैठक कर कार्यो पर परिचर्चा करने पर शाखा में अनुशासन एवं अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। शाखा कार्यों में प्रगति एवं अनुशासन से स्वतः साप्ताहिक बैठके होने की पुष्टि होती रहती है। भविष्य में निर्देशों का परिपालन हो एवं बैठक की कार्यवृत्ति अवश्य सम्बन्धित को प्रेषित करें।

बैठक समीक्षा के दौरान कतिपय शाखा प्रबन्धकों ने शाखा कार्यालय में बैंक कर्मियों द्वारा किये जा रहे अभद्रता से अवगत कराया, जो बहुत ही निन्दनीय एवं अनुशासनहीनता है। अतः यदि यह स्थिति शाखा कार्यालय में उत्पन्न होती है तो शाखा प्रबन्धक सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए आरोप पत्र प्रेषित करें ताकि उन अभद्र कर्मियों पर कड़ी कार्यवाही की जाये।

अतः सभी कर्मियों से अपेक्षा है कि वह संस्था हित में अनुशासित रह कर टीम भावना से समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार सम्पूर्ण वसूली अभियान में वसूली करते हुए निर्धारित लक्ष्यों की शतप्रतिशत वसूली करना सुनिश्चित करें।

(श्रीकान्त गोस्वामी)
प्रबन्ध निदेशक

उ0 प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

पत्रांक–38076 /वसूली/समीक्षा/2017–1 दिनांक– 25.4.17

प्रतिलिपि– निम्नांकित को अनुपालनार्थ एवं सूचनार्थ :–

1– समस्त शाखा प्रबन्धक, उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, आगरा/अलीगढ़ मण्डल।
2– मण्डल पर्यवेक्षक उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, आगरा/अलीगढ़ मण्डल।
3– उप महाप्रबन्धक(कम्प्यूटर) उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ को वेवसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

(आर0एन0 सिंह)
प्रबन्धक श्रेणी–3(वसूली)

Bank information के अन्तर्गत Servicing Mail के folder के 31-91 Rec. Send to Branch के अन्तर्गत Aligarh Agra 20.4.17 के नाम से File है।

दिनांक 21.04.2017 को लखनऊ मण्डल की प्रधान कार्यालय, लखनऊ में आहूत शाखा प्रबन्धकों की बैठक की कार्यवृत्ति।

दिनांक 21.04.2017 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार लखनऊ मण्डल के शाखा प्रबन्धकों के साथ मुख्य रूप से वसूली की समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान मुख्य महाप्रबन्धक एवं बैंक के अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित थे।

समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि लखनऊ मण्डल की शाखा मितौली, लखनऊ मोहनलालगंज, बक्शीका तालाब, बछरावॉ गतवर्ष इसी अवधि की तुलना में धनराशि के सापेक्ष आगे हैं, परन्तु अधिकांश शाखायें गतवर्ष की तुलना में पीछे चल रही हैं।

शाखा पलिया, गोला, निघासन, मोहम्मदी रू0 1 करोड़ से भी अधिक की धनराशि से पीछे है। समीक्षा के दौरान प्रबन्ध निदेशक द्वारा उक्त शाखा प्रबन्धकों के किया–कलापों पर असंतोष व्यक्त किया गया और यह निर्देश दिये गये कि वे तत्काल वसूली हेतु ठोस प्रयास करें जिससे शाखा की वसूली में आशातीत वृद्धि हो सके, अन्यथा उक्त सम्बन्धित शाखा प्रबन्धकों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

एक लाख से बड़े बकायेदारों की वसूली की समीक्षा के दौरान प्रबन्ध निदेशक द्वारा यह निर्देश दिये गये कि इन बकायेदारों का शतप्रतिशत आच्छादन सभी शाखायें तत्काल कराना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ इनसे सघन सम्पर्क अभियान चलाकर सम्पर्क स्थापित करें और वसूली करायें। ऐसे बकायेदार, जो असलहाधारी हो तथा किसी अन्य जिम्मेदार पद पर हों और बैंक के बकायेदार हों, उनसे भी सम्पर्क कर वसूली के ठोस प्रायास किये जायं।

शून्य वसूली से सम्बन्धित बकायेदारों की समीक्षा करने के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आये कि लखनऊ मण्डल के मण्डल के 6964 के कुल इतने बकायेदार हैं जिनसे शाखा प्रबन्धकों द्वारा वसूली हेतु कोई प्रयास नहीं किये गये और समीक्षा के दौरान उनके द्वारा इन खातों में शून्य वसूली होने पर कोई समुचित उत्तर भी नहीं दिया गया। इस पर प्रबन्ध निदेशक द्वारा सम्बन्धित शाखा प्रबन्धकों पर रोष व्यक्त किया गया और ये निर्देश दिये गये कि एक रणनीति बनाकर शून्य वसूली वाले खातों के बकायेदारों से वसूली सुनिश्चित कराई जाय।

बन्धक भूमि की बिक्री किये जाने के प्रकरण की समीक्षा भी की गयी जिसमें भी शाखा प्रबन्धकों द्वारा इस आशय का कोई समुचित उत्तर नहीं दिया गया जिससे स्पष्ट होता हो कि उनके द्वारा ऐसे बकायेदार जिन्होंने अपनी बन्धक भूमि की बिक्री बिना ऋण चुकता किये कर दी है, उनके विरूद्ध कोई ठोस कार्यवाही की गयी। कतिपय शाखा प्रबन्धकों द्वारा बताया गया कि उन्होंने क्रेता और बिक्रेता को नोटिसें दी हैं, परन्तु इसके कोई आशातीत परिणाम अभी प्राप्त नहीं हुए। शाखा प्रबन्धकों को निर्देश दिये गये कि क्रेता–बिक्रेता के विरूद्ध नोटिस देने के साथ–साथ अग्रेतर कार्यवाही भी सुनिश्चित करायें।

शाखा प्रबन्धकों की सहमति से प्रबन्ध निदेशक द्वारा दिनांक 30.04.17 तक वसूली के निम्न लक्ष्य दिये गये और उन्हें यह निर्देश दिया गया कि अनिवार्य रूप से उक्त निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति दिनांक 30.04.17 तक सुनिश्चित करायें।

लखनऊ मण्डलः (धन0 लाखों में)

क्र0सं0	शाखा का नाम	शा0प्र0 द्वारा किये गये Commitment के अनु0 30.04.17 तक वसूल करने वाली धन0	क्र0सं0	शाखा का नाम	शा0प्र0 द्वारा किये गये Commitment के अनु0 30.6.16 तक वसूल होने वाली धन0
1.	हरदोई	4.00	22.	सफीपुर	3.00
2.	कछौना	3.00	23.	पाटन	3.00
3.	बिलग्राम	5.00	24.	लखीमपुर	5.00
4.	शाहाबाद	3.00	25.	बेहजम	5.00
5.	सण्डीला	1.00	26.	धौरहरा	5.00
6.	मल्लावॉ	2.00	27.	गेला	15.00
7.	पिहानी	4.00	28.	निघासन	15.00

8.	लखनऊ	1.00	29.	मोहम्मदी	10.00
9.	मलिहाबाद	2.00	30.	पलिया	20.00
10	मोहनलालगंज	3.00	31.	शारदानगर	3.00
11.	बक्शीकातालाब	3.00	32.	मितौली	2.00
12.	श्रायबरेली	3.00	33.	सीतापुर	5.00
13.	बछरावॉ	3.00	34.	बिसवॉ	10.00
14.	डलमऊ	3.00	35.	महमूदाबाद	5.00
15.	लालगंज	5.00	36.	मिश्रिख	3.00
16.	महराजगंज	5.00	37.	सिधौली	7.00
17.	नसीराबाद	2.00	38.	महोली	3.00
18.	सलोन	3.00	39.	लहरपुर	4.00
19.	उन्नाव	1.50	40.	तम्बौर	5.00
20.	हसनगंज	1.00	41.	रामपुरमथुरा	5.00
21.	पुरवा	3.00	**योग**		**193.50**

अन्त में आप सभी से अपेक्षित है कि शाखा की वर्तमान स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पूरी तन्मयता एवं टीम भावना से संस्था हित में पूरी ऊर्जा के साथ वसूली में आशातीत वृद्धि करें।

(श्रीकान्त गोस्वामी)
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ

पत्रॉकः– 38077 /वसूली/समीक्षा–बैठक/2017–18 दिनॉक– 25.4.17

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1–समस्त शाखा प्रबन्धक, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैक लि0, मण्डल– लखनऊ को अनुपालनार्थ।

2–सम्बन्धित जनपदीय पर्यवेक्षक, उ0 प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैक लि0, मण्डल– लखनऊ प्रधान कार्यालय लखनऊ को इस आशय से सूचनार्थ कि उपरोक्त का अनुश्रवण प्रतिदिन करते हुए वसूली करायें एवं साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत करायें।

3–उप महाप्रबन्धक (कम्प्यूटर), प्रधान कार्यालय को बेवसाइड पर अपलोड कराने हेतु।

(आर0एन0 सिंह)
प्रबन्धक श्रेणी–3(वसूली)